तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज़	नम्बर अहकाम तामील
26/5/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी की ओर से बहस प्रार्थना पत्र की गई। जो सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी की खरीदशुदा कृषि आराजी खसरा नं0 93 रकबा 1.34 है0 व ख0नं0 94 रकबा 1.11 है0 कुल 2.45 है0 वाके ग्राम कसार पटवार हल्का कसार, भू0अ0नि0 मण्डाना तह0 लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जिसको संयुक्त नाम मुकेश कुमार उम्र 14 साल नाबालिग एवं सुरेन्द्र कुमार उम्र 10 साल पिता श्री शिवनारायण जाति बंजारा निवासी ग्राम कसार तह0 लाडपुरा जिला कोटा के नाम से जरिये विक्रय पत्र खरीद की है जिसका पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक मण्डाना जिला कोटा राज0 में दिनांक 26.12.2002 में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 19 क्रम सं0 882 पृष्ठ सं0 170 पर पंजीबद्ध है जिसके वर्तमान खाता सं0 नया 274 खाता सं0 पुराना 247 तथा ख0नं0 93 रकबा 1.34 है0 एवं ख0नं0 94 रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम कसार पटवार हल्का कसार तह0 लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। प्रार्थी का विक्रय पत्र के माध्यम से कार्यालय उप पंजीयक मण्डाना जिला कोटा में नामान्तरण संख्या 608 दिनांक 26.11.2002 को खोला गया और राजस्व रिकार्ड में क्रेता प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार एवं प्रार्थी के भाई मुकेश कुमार का नाम सही दर्ज किया गया है परन्तु प्रार्थी के द्वारा आनलाईन नकल जमाबंदी निकाले जाने पर प्रार्थी का नाम सुरन्द्र कुमार के स्थान पर सुरेश कुमार दर्ज होकर जमाबंदी प्राप्त होती है जो कि त्रुटि पूर्ण नाम है। प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार है जिसके नाम से अन्य दस्तावेज भी जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि बने हुए है जिसमें प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार दर्ज है जिनकी प्रति साक्ष्य के रूप में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम सुरेश कुमार को दुरूस्त कर सही व वास्तविक नाम सुरेन्द्र कुमार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज विक्रय पत्र, नामान्तरण प्रति, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र का अवलोकन किया गया। संलग्न विक्रय पत्र के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम कसार पटवार हल्का कसार में स्थित आराजी खसरा नं0 93 रकबा 1.34 है0 व ख0नं0 94 रकबा 1.11 है0 कुल 2.45 है0 का क्रय संयुक्त रूप से मुकेश कुमार उम्र 14 साल नाबालिग एवं सुरेन्द्र कुमार उम्र 10 साल पिता श्री शिवनारायण जाति बंजारा निवासी ग्राम कसार के नाम से किया गया था। नामान्तरण पत्र में पटवारी द्वारा भी प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार ही अंकित किया हुआ है परन्तु सहवन से प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार दर्ज हो गया है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम कसार पटवार हल्का कसार में खसरा नं0 93 रकबा 1.34 है0 एवं ख0नं0 94 रकबा 1.11 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार पुत्र शिवनारायण के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवनारायण दर्ज किया जावे। उक्त निर्णय आज दिनांक 26/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा	